

राजस्थान सरकार
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
 क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1223 जयपुर,दिनांक: 24-6-2007
 प्रशासनिक स्वीकृति
 (नये कार्यों के लिए)

"दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना" के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 01 दिनांक 28.4.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- दौसा

(ब) गांव का नाम:- चांदराना पंचायत का नाम:- चांदराना पंचायत समिति:- दौसा

(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	एनिकट निर्माण	5.00	4.50	0.50
2	चरागाह विकास	2.00	1.80	0.20
3	स्कूल शौचालय	1.00	0.90	0.10
4	चौपाल सामुदायिक केन्द्र	3.50	3.15	0.35
5	किसान सेवा केन्द्र	1.50	1.35	0.15
6	नाली निर्माण	3.00	2.70	0.30
7	कुए गहरे कराना	2.00	1.80	0.20
8	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
	योग	18.50	16.70	1.80

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।


(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दौसा (दौसा)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, चांदराना पंचायत समिति, दौसा (दौसा)।


शासन सचिव एवं आयुक्त